B.A II Hon's

प्रस्तावना

PREABLE

भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहर लाल नेहरू द्वारा बनाये गये उद्देशिका पर अधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और सबसे पहले अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था। इसके बाद कई देशों ने प्रस्तावना को अपनाया। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व के आदि के बारे में चर्चा किया गया।

प्रस्तावना में संशोधन — संविधान के 42 वे संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन सन् 1976 में प्रस्तावना में 'समाजवाद' तथा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दो को और जोड़ दिया गया है

दूसरा संशोधन — 'राष्ट्र की एकता'

Scanned with CamScanner

शब्द के साथ 'अखण्डता' शब्द को जोड़ दिया गया है।

42 वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन — 1978 में संविधान की प्रस्तावना में 'समाजवाद' तथा 'धर्मनिरपेक्ष' शब्दों को रखा गया है। अतः इन संशोधनों द्वारा जोड़े गये शब्दों का महत्व इस प्रकार है।

समाजवाद — समाजवाद शब्द जोड़ने का महत्व यह है कि भारत में सरकार समाजवादी नीतियों को लागू करेगी। भारत में गरीबी, बेरोजगारी तथा आर्थिक विषमता को समाजवाद के द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

धर्म निरपेक्ष — धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा जाना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में अनेक धर्म तथा सम्प्रदाय के मानने वाले लोग रहते हैं। अतः सरकार को धर्मनिरपेक्ष की नीतियों का अनुसरण करना अनिवार्य था।

42 वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन — "सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य"

42 वे संशोधन द्वारा शब्दो को रखा गया — "सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी गणराज्य।"

Scanned with CamScanner